(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला : **पंचकूला,** थाना : **राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला**, वर्ष : **2016**, प्र0सु0रि0स0 : **03**

   दिनांक : **05.05.2016**

2. **धारा 409/420/120बी भा0 द0 स0 व 13 पी0सी0 एक्ट, 1988**

3. (क) अपराध की घटना **: वर्ष 2005**

   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : **दिनांक 05.05.2016 समय 05:50 पी0एम0।**

   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : **10** **समय 5:50 सांय**

4. सूचना का प्रकार : **लिखित।**

5. घटनास्थल : (क) थाना से दिशा एंव दूरी :**पूर्व करीब 2 कि0मी0।**

6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता :

   नाम **: अशोक कुमार उप पुलिस अधिक्षक (मु0) राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला।**

   पिता का नाम :————

   राष्ट्रीयता : **भारतीय।**

   व्यवसाय **:सरकारी नौकरी**

   पता :**(मु0) राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला।**

   ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण : **तत्कालीन मुख्य प्रशासक हुडडा, तत्कालीन प्रशासक हुडडा, तत्कालीन चेयरमैन हुडडा व तत्कालीन वितायुक्त नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा तथा मैसर्ज एसोसिएटस जनरल लि0 नई दिल्ली के पदाधिकारी व अन्य।**

7. लिंग : **पुरूष**

भाषा : **हिन्दी।**

11. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण : **कोई नहीं।**

12. **प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकूला। श्रीमान जी, निवेदन है, कि मुख्य सचिव, चौकसी विभाग, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ के यादि कमांक 58/17/2016–1VII दिनांक 3.05.2016 के आदेशानुसार शहरी प्राधिकरण हरियाणा से टिप्पणी प्राप्त करने उपरान्त व आसूचना रिपोर्ट जो प्लाट न0 17, सैक्टर–6, पंचकूला बारे थी पर अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है। जो आसूचना रिपोर्ट, उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से व शहरी प्राधिकरण हरियाणा की टिप्पणी को मध्य नजर रखते हुये पाया गया कि प्लाट न0 17, सैक्टर–6, पंचकूला दिनांक 24.08.1982 को मैसर्ज असोसिएटस जनरल लिमिटड, नई दिल्ली को हुडा विभाग द्वारा अलॉट किया गया था तथा प्लाट का कब्जा दिनांक 30.08.1982 को दिया गया। उपरोक्त फर्म द्वारा तत्कालीन चेयरमेन हुडा हरियाणा को प्लाट की बकाया रकम को 10 सलाना किस्तो पर दिये जाने की प्रार्थना की थी जिसको दिनांक 12.09.1983 को तत्कालीन चेयरमैन हुडा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आंबटन के नियम व शर्तो अनुसार कम्पनी के लिये आवश्यक था, कि कब्जे की तारीख से प्लाटपर 6 महीने के अन्दर निमार्ण शुरू करके दो वर्ष के अन्दर पूर्ण करना था। कम्पनी दिये गये समय अनुसार निमार्ण कार्य करने में असफल रही। सम्पदा अधिकारी, पंचकूला ने दिनांक 30.10.1992 को प्लाट रिज्यूम कर लिया तथा कम्पनी को प्लाट की कुल जमा राशि में से दस प्रतिशत घटाने उपरान्त इसे उक्त कम्पनी को दिनांक 10. 11.1995 को वापिस कर दिया गया। कम्पनी द्वारा सम्पदा अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.1992 के खिलाफ अपील प्रशासक, हुडडा, पंचकूला के पास की, जिन्होने अपने आदेश दिनांक 26.07.1995 द्वारा कम्पनी की अपील को खारिज कर दिया। जिस पर कम्पनी द्वारा प्रशासक हुडडा पंचकूला के आदेश दिनांक 26.07.1995 के खिलाफ अपील वितायुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एंव ग्राम आयोजन के पास की जिन्होने अपने आदेश दिनांक 10.10.1996 द्वारा कम्पनी की रिविजन को खारिज कर दिया। श्री आबिद हुसैन ने तत्कालीन चेयरमेन हुडा को प्लाट बहाल करने के लिए दिनांक 14.03.1998 को प्रार्थना की जिस पर चेयरमेन हुडा ने श्री आबिद हुसैन को सूचित किया की तय शुदा समय सीमा में प्लाट का निमार्ण नही किया गया, क्योकि अपील व रिविजन पटीशन को पहले से ही खारिज किया जा चुका था। दिनांक 14.05.2005 को तत्कालीन चेयरमेन हुडा द्वारा उपरोक्त प्लाट को पुनः बहाल करने के लिए सम्भावनाएं खोजने के लिए कहा। जो उपरोक्त प्लाट को तत्कालीन मुख्य प्रशासक द्वारा पूनः आबटंन बारे एल0आर0 से राय प्राप्त की गई जिन्होने अपनी राय दी की रिज्यूम प्लाट को बहाल नही किया जा सकता। क्योकि प्लाट से सम्बन्धित आदेश फाईनल हो चुका है तथा प्लाट को पुनः से मौजूदा रेट पर अलाट नही किया जा सकता। हुडा विभाग के नियमानुसार रिज्यूम प्लाट को पूनः नये रेट पर पॉलिसी अनुसार आलॉट किया जा सकता है। जिस पर तत्तकालीन प्रशासक हुडा तथा तत्कालीन वितायुक्त नगर एंव ग्राम आयोजन हरियाणा द्वारा दिनांक 18.08.2005 को प्रस्तावित किया गया कि उपरोक्त प्लाट को दौबारा अलाट करने के लिए विज्ञापन देकर आवेदन मांगे जाऐ। जिसमें उक्त फर्म भी प्लाट के लिए आवेदन कर सकती है। जिस पर तत्कालीन चेयरमेन हुडा द्वारा दिनांक 28.08.2005 को नियमो की उल्लघना करके तथा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये उपरोक्त फर्म को वर्ष 2005 में वर्ष 1982 के रेट पर उक्त प्लाट को पुनः बहाल करने के आदेश दिये तथा उक्त प्लाट का निर्माण कार्य 6 महिने के अन्दर शुरू करके दो वर्ष के अन्दर पूर्ण करने का समय दिया गया। जिस पर तत्कालीन मुख्य प्रशासक हुडा पंचकूला ने अपने पद का दुरूपयोग**

करते हुये प्रशासक हुडा पंचकूला को उक्त प्लाट को पुनः पुराने रेट पर अलाटमैन्ट करने के आदेश दिये। दिनांक 1.09.2005 को उपरोक्त फर्म द्वारा भवन का निर्माण शुरू करने के लिए एक साल का समय मांगा जिसे भी हुडा विभाग के अधिकारियों द्वारा आपस में मिलीभगत करके स्वीकृति प्रदान कर दी। जबकि पुनः अलाटमैन्ट की शर्तो के अनुसार भवन निर्माण का समय पहले से ही खत्म हो चुका था। जो तत्तकालीन मुख्य प्रशासक हुडा, तत्तकालीन प्रशासक हुडा, तत्कालीन चैयरमैंन हुडा व तत्कालीन वितायुक्त नगर एंव ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा द्वारा मैसर्ज असोसिएटस जनरल लि0 नई दिल्ली के पदाधिकारियों व अन्य से मिलीभगत करके अपने–अपने पद का दुरूपयोग करके धोखाधडी व गडबड घोटाला करके उपरोक्त प्लाट को कम कीमत पर अलाट करके सरकार को लगभग 62 लाख रूपये की वितिय हानि पहुंचा कर उक्त फर्म को अनूचित लाभ पहुंचाया है। इसलिए इनके विरूद्व जेरधारा 409/420/120–बी भा.द.स. व 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम–1988 के तहत अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है। अतः तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा आपके पास बाहस्त सिपाही प्रवीण कुमार न0 949/पानीपत को भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्त के विरूद्व सरकार के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज करके मुकदमा में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करवा कर मिशल मुकदमा व सम्बन्धित रिकार्ड अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जावे। Sd अशोक कुमार, उप पुलिस अधीक्षक(मु0) राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला 5.5.2016 समय 5:35 PM अज मुख्यालय पंचकुला।
अज थाना : इस समय थाना हजा मे एक लिखित तहरीर उप पुलिस अधिक्षक अशोक कुमार राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकुला बदस्त सिपाही प्रवीन कुमार 949/पानीपत के प्राप्त हुई है। जो उपरोक्त लेख पर अभियोग अंकित करके नकुलात FIR ईलाका मैजिस्ट्रेट पंचकुला की सेवा मे व उच्च अधिकारीयो की सेवा में तथा असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस बराये नियुक्त करवाने अनुसंधान अधिकारी बदस्त आरिन्दा सिपाही प्रवीन कुमार नं0 949/पानीपत के अफसरान बाला की सेवा मे मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकुला भिजावाई जा रही है।

13. अनुसंधान अधिकारी :–

ईलाका मैजीस्ट्रेट :–

बदस्त सिपाही प्रवीन कुमार 949/पानीपत

निरीक्षक, (सुरेश कुमार न0 191/HAP),
थाना राज्य चौकसी ब्यूरों,
सैक्टर 17 पंचकुला।